न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

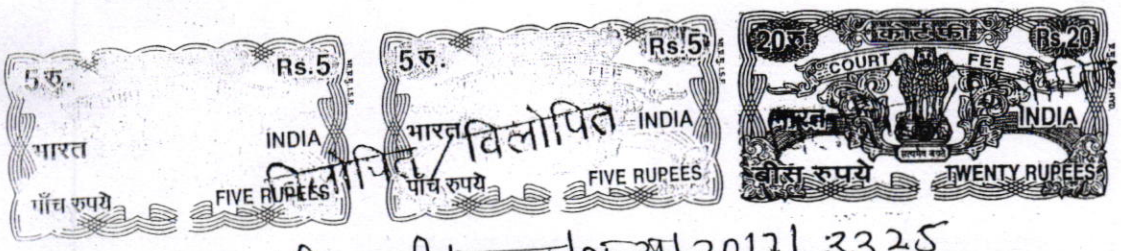

III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3325

श्रीमती अन्नपूर्णा गौतम पुत्री स्व0 रामायण प्रसाद शर्मा पत्नी सुशील कुमार गौतम निवासी सोहावल तह0 रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

बनाम1

जयंती शुक्ला पुत्री स्व0 रामायण प्रसाद शर्मा पत्नी राजेश शुक्ला निवासी पड़रा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण कमांक 739/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959ई0

95

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

II/निगरानी/सतना/भू0रा0/2017/3325

श्रीमती अन्नपूर्णा गौतम विरूद्ध जयंती शुक्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-7-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अन्नापूर्णा गौतम ने तहसीलदार राजनगर के समक्ष आ0नं0 142/1क, 142/2, 161/1, 162, 171/1क, 171/2, 227 जरिये वसीयत दिनांक 5-4-88 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 41/अ-6/2013-14 में दिनांक 29-8-2014 को नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20-7-2015 अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 07-9-2017 के द्वारा अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के पिता रामायण प्रसाद शर्मा पिता हरप्रसाद ने अपने जीवनकाल में दिनांक 5-4-88 को प्रश्नाधीन भूमि अपनी पुत्री (निगरानीकर्ता) को जरिये वसीयत प्रदान की। इस वसीयत के साक्षी श्री श्रीनिवास पाण्डे तथा उमेश वाजपेयी द्वारा वसीयत को, सही होना बताया और	

उनक समक्ष की जाना भी बताया है। वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मृतक रामयण प्रसाद शर्मा का अंतिम इच्छापत्र था जिसमें उसे उसने अपने पूर्ण होशोहवास में किया था। वसीयत के दस्तावेज लेखक नादिर हुसैन तथा गवाह के स्पष्ट हस्ताक्षर के साथ मृतक के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं जिसको किसी भी रूप में त्रुटिपूण या फर्जी होना प्रमाणित नहीं किया है।

वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 15–1–14 के उपरांत वसीयतग्रहीता द्वारा तहसीलदार के यहां विधिवत आवेदन देकर नामांतरण कराया है। अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय की नस्ती के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक निगरानीकर्ता का ही था। तहसीलदार ने प्रकरण में विधिवत इस्तहार जारी किया। गवाहों के साक्ष्य लिये एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया और वसीयत को प्रमाणित पाया जाकर विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया। विल उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2(ज) में परिभाषित वसीयत के अर्थ को स्पष्ट किया है इसमें उल्लिखित है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के संबंध में आश्रय की विधिक घोषणा और इस घोषणा को तहसीलदार द्वारा विल उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63(ए,बी,सी) के अनुसार प्रमाणित पाया जाकर नामांतरण आदेश पारित किया है। वसीयत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक दृष्टांत दिये हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि जब तक वसीयत को अप्रमाणित घोषित नहीं किया जाये तब तक उसे वैध माना जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय की नस्ती के संबंध में परीक्षण नहीं किया है और इस्तहार के प्रकाशन और साक्ष्यों के प्रमाणीकरण पर अनावश्यक टिप्पणी की है जबकि ऐसे प्रकरण

में तहसीलदार की नस्ती का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रकरण में संलग्न तहसीलदार की नस्ती के पृष्ठ कमांक 5–1 पर इस्तहार संलग्न है तथा पृष्ठ 6–1 पर आवेदिका एवं 6–2 तथा 6–3 पर वसीयत के साक्षियों के कथन भी अंकित हैं जिससे वसीयत की प्रमाणिकता प्रकट होती है।

प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा इस संबंध सिविल वाद भी दायर किया है जो अभी प्रचलित है तथा सिविल वाद में गैरनिगरानीकर्ता द्वारा चाहा गया स्थगन ओवदन भी निरस्त किया जा चुका है। सिविल वाद में स्वत्व का निर्धारण भी लंबित है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी के तहत दस्तावेजों तथ अधीनस्थ न्यायालयों की नस्तियों के परीक्षण एवं अभिभाषकों के तर्क के उपरांत यह पाता हूँ कि मृतक रामायण प्रसाद शर्मा द्वारा अपने जीवनकाल में की गई वसीयत को तहसीलदार द्वारा परीक्षण उपरांत प्रमाणित पाया जाकर जो नामांतरण आदेश दिनांक 29–8–14 को पारित किया है वह वैधानिक होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायलय का आचोल्य आदेश दिनांक 7–9–17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

जहां तक स्वत्व का प्रश्न है प्रकरण वर्तमान में माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 रीवा के यहां प्रचलित है जहां उभय पक्ष अपने स्वत्वों का निराकरण करा सकते हैं।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य